



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042025-262543  
CG-DL-E-19042025-262543

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2025/चैत्र 27, 1947

No. 199]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2025/CHAITRA 27, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 238(अ).— केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 10ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड अकाउंटेंट (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में, एतद्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद के दिसंबर, 2024 में हुए निर्वाचन के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन यथा निर्दिष्ट विवादों पर निर्णय करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर एक अधिकरण की स्थापना करती है, अर्थात्:-

- (i) सुश्री अंजू राठी राणा, - पीठासीन अधिकारी;  
सचिव,  
विधि और न्याय मंत्रालय,  
विधि कार्य विभाग,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

- (ii) सुश्री एस. मीनाक्षी, - सदस्य।  
शासकीय समापक,  
कक्ष नं 321, खुर्शीद लाल भवन,  
जनपथ, नई दिल्ली -110001,
- (iii) श्री संजय शौरी, - सदस्य;  
महानिदेशक, कारपोरेट कार्य  
कोटा हाउस एनेक्सी, 1, शाहजहां रोड,  
नई दिल्ली-110011

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 01/1/2025-पीआई]  
इन्द्र दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

##### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2025

**G.S.R. 238(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10B of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) and in pursuance of rule 3 of the Chartered Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby establishes a Tribunal consisting of the following persons to decide disputes as referred to under section 10A of the said Act in the matter of election to the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, held in December, 2024, namely:-

- (i) Ms. Anju Rathi Rana, - Presiding Officer;  
Secretary,  
Ministry of Law and Justice,  
Department of Legal Affairs,  
Shastri Bhawan, New Delhi- 110001
- (ii) Ms. S Meenakshi, - Member.  
Official Liquidator,  
Room No. 321, Khurshid Lal Bhawan,  
Janpath, New Delhi-110001,
- (iii) Shri Sanjay Shorey, - Member;  
Director General of Corporate Affairs,  
Kota House Annexe, 1, Shahjahan Road,  
New Delhi-110011.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 01/1/2025-PI]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.